

>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

MADAM CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Madam, on behalf of my colleague Shri G.K. Vasan, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012.

(iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library. See No. LT 8916/15/13)

- (3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2011-2012.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(4)

(Placed in Library. See No. LT 8917/15/13)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2011-2012.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(6)

(Placed in Library. See No. LT 8918/15/13)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2011-2012.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(8)

(Placed in Library. See No. LT 8919/15/13)

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Steelworks Construction Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8920/15/13)

- (2) Memorandum of Understanding between the Steel Authority of India Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8921/15/13)

- (3) Memorandum of Understanding between the MOIL Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8922/15/13)

- (4) Memorandum of Understanding between the MSTC Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8923/15/13)

- (5) Memorandum of Understanding between the KIOCL Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8924/15/13)

- (6) Memorandum of Understanding between the Rashtriya Ispat Nigam Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8925/15/13)

- (7) Memorandum of Understanding between the NMDC Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8926/15/13)

- (8) Memorandum of Understanding between the MECON Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8927/15/13)

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2010-2011.
Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(2)

(Placed in Library. See No. LT 8928/15/13)

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI JITENDRA SINGH): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Outcome Budget of the National Cadet Corps, Ministry of Defence, for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8929/15/13)

(2) Outcome Budget of the Directorate General Married Accommodation Project, Ministry of Defence, for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8930/15/13)

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of my colleague Shrimati D.Purandeswari, I beg to lay on the Table a copy of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 2013 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 379(E) in Gazette of India dated 15th February, 2013 under Section 34 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985.

(Placed in Library. See No. LT 8931/15/13)

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2011-2012.
- Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(2)

(Placed in Library. See No. LT 8932/15/13)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987:-

- (i) S.O. 596(E) published in Gazette of India dated 11th March, 2012, extending for placement of orders beyond 10.03.2013 i.e. upto 15.03.2013 and completion of supplies beyond 31.03.2013 i.e. upto 15.04.2013 for a quantity of 2.30 lakh bales only of HDPE/PP bags during the jute year 2012-2013.
- (ii) S.O. 818(E) published in Gazette of India dated 22nd March, 2012, extending for placement of orders beyond 15.03.2013 i.e. upto 31.03.2013 and completion of supplies beyond 15.04.2013 i.e. upto 30.04.2013 for a quantity of 1.40 lakh bales only of HDPE/PP bags during the jute year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 8933/15/13)

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (i) Memorandum of Understanding between the NTC Limited and the Ministry of Textiles for the year 2013-2014.
- (ii) Memorandum of Understanding between the Central Cottage Industries Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8934/15/13)

...(Interruptions)

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members

went back to their seats.

.....(Interruptions)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निरंजन ईशिंग): सभापति महोदया, मैं श्री सर्वे सत्यनारायण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (एक) का.आ. 1003(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 75 (ग्वालियर - शिवपुरी खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (दो) का.आ. 664(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 1799(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चार) का.आ. 1755(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 1216(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का.आ. 1815(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का.आ. 2491(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 2583(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 2482(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा - कटनी -

जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (दस) का.आ. 2584(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (ब्यारह) का.आ. 2599(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (बारह) का.आ. 2542(अ) जो 23 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (तेरह) का.आ. 2861(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (चौदह) का.आ. 2249(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पंद्रह) का.आ. 2485(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल - पनढुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सोलह) का.आ. 2544(अ) जो 23 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख (अमरवाडा से छिंदवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सत्रह) का.आ. 2467(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (अठारह) का.आ. 2471 (अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे - सोलापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का.आ. 2481(अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क (छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा/शिवनी जिला सीमा) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बीस) का.आ. 2461(अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का.आ. 2468(अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क (बेतुल/छिंदवाड़ा जिला सीमा से छिंदवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाइस) का.आ. 2091(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेइस) का.आ. 1754(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का.आ. 2860(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का.आ. 1527(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का.आ. 661(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (औरंग - सरायपाली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्ताइस) का.आ. 1826(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर - मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठाइस) का.आ. 917(अ) जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण,

- (चालीस) का.आ. 487(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर - राजमार्ग कोंसिंग खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (इकतालीस) का.आ. 2593(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम - भुवनेश्वर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (बयालीस) का0आ0 1562(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (तेतालीस) का0आ0 2248(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जोरहट से डिब्रुगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (चवालीस) का.आ. 873(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अबदुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (पैंतालीस) का0आ0 528(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट - मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (छियालीस) का0आ0 1486(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (उमरनाला से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (सैंतालीस) का.आ. 600(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (अड़तालीस) का.आ. 1558(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (उनचास) का0आ0 587(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (डेजिन चैनेज) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।
- (पचास) का.आ. 905(अ) जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अबदुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है ।

- (इक्यावन) का.आ. 750(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बावन) का0आ0 607(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का0आ0 943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तिरपन) का0आ0 1227(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपास के निर्माण सहित) (औरंग - सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौवन) का0आ0 1788(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपास के निर्माण सहित) (औरंग - सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचपन) का0आ0 1341(अ) से का0आ0 1344(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (औरंग - सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छपन) का0आ0 1484(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपास के निर्माण सहित) (औरंग - सरायपली खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्तावन) का0आ0 553(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अबुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठावन) का0आ0 871(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अबुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनसठ) का0आ0 1011(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (साठ) का0आ0 542(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकसठ) का0आ0 673(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर - लखनडन खंड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (जबलपुर - मंडला खंड) (नए संरक्षण सहित) पर जुड़ने वाले जबलपुर बायपास के विस्तार हेतु निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बासठ) का0आ0 747(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का0आ0 3075(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तिरसठ) का.आ. 1531(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौसठ) का0आ0 1798(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैंसठ) का0आ0 1463(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (नुमालीगढ-दा-धारा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियासठ) का.आ. 874(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-परवानू खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सड़सठ) का.आ. 964(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड़सठ) का.आ. 959(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनहतर) का.आ. 646(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतर) का.आ. 658(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकहतर) का.आ. 2264(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बहतर) का.आ. 2196(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापतनम-भुवनेश्वर से भुवनेश्वर-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिहतर) का.आ. 2355(अ) जो 3 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापतनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (इक्यानवे) का.आ. 886(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (बानवे) का.आ. 1907(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (तिसानवे) का.आ. 532(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (चौथानवे) का.आ. 875(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पंचानवे) का.आ. 1816(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छियानवे) का.आ. 1239(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तहसीलदार, बरकोट को उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।
- (सतानवे) का.आ. 2460(अ) जो 31 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित अधिकारियों को उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।
- (अठानवे) का.आ. 1922(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (निन्यानवे) का.आ. 2330(अ) जो 28 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सौ) का.आ. 2204(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक सौ एक) का.आ. 595(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक सौ दो) का.आ. 1002(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक सौ तीन) का0आ0 657(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या का0आ0 1243(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

संग्रहण के बारे में है।

- (एक सौ अड़तालीस) का.आ. 39(अ) जो 3 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (एक सौ उनचास) का.आ. 116(अ) जो 9 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (एक सौ पचास) का.आ. 2872(अ) जो 11 दिसंबर, , 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 862(अ) को निरस्त किया गया है।
- (एक सौ इकावन) का.आ. 448(अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है।
- (एक सौ बावन) का.आ. 1460(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ तिरपन) का.आ. 1916(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-संबलपुर-खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ चौवन) का.आ. 1812(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पचावन) का.आ. 891(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ छप्पन) का.आ. 1353(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (शीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ सत्तावन) का.आ. 1608(अ) जो 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ अष्टावन) का.आ. 877(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ उनसठ) का.आ. 973(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ साठ) का.आ. 879(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अबुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ इकसठ) का.आ. 880(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अबुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ वासठ) का.आ. 976(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ तिरसठ) का.आ. 881(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अबुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ चौसठ) का.आ. 742(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों के सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पैंसठ) का.आ. 787(अ) जो 20 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना-बेला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ छियासठ) का0आ0 841(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का0आ0 1210(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ सड़सठ) का0आ0 850(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का0आ0 2442(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ अड़सठ) का.आ. 327(अ) जो 6 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बीवर-बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ उनहतर) का.आ. 328(अ) जो 6 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना-बेला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ सतर) का.आ. 357(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ इकहतर) का.आ. 358(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ बहतर)

का.आ. 500(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में है।

(एक सौ तिहत्तर)

का.आ. 2198(अ) जो 18 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(Placed in Library. See No. LT 8935/15/13)
